GCMS No. : 2023/10

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः— डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 01/2023

जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री प्रेम कुमार जाट पुत्र श्री मनीराम जाट, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
फर्म — मै. शिव डेयरी, गुरुद्वारा रोड़, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 31 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2022 को समय 01.00 बजे मैसर्स शिव डेयरी, गुरूद्वारा रोड़, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर श्री प्रेम कुमार जाट पुत्र श्री मनीराम जाट डेयरी मालिक की हैसियत से मौजूदा था और डेयरी में रखी एक स्टील की टंकी में लगभग 40 किलो **गाय का दूध** आमजन के विक्रय हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु पेय पदार्थ **गाय का दूध** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **गाय का दूध** में से 02 लीटर दुध को विक्रेता से खरीद किया, 02 लीटर दूध को 04 बराबर भागों में बांटकर चार सुखी बोतलों में भरा एवं चारों बोतलों पर चार लेबल चिपकाए।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मौके पर खरीदशुदा गाय के दूध का 70 रूपए का भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय के दूध** चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1304** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री प्रेम कुमार ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 77/एक्ट/2022/77 दिनांक 24.01.2022 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1304** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत पेय पदार्थ **अमानक (सब–स्टेण्डर्ड) फूड** पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी गांव 42 एनपी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है प्रार्थी मैसर्स [illegible] डेयरी गुरूद्वारा रोड रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/ दिनांक–2023 का दिया है कि आपकी दुकान में गाय का दूध की जॉच की गई तो गाय का दूध **Misbranded Food** पाया गया है प्रार्थी ने उक्त गाय का दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करेगा। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 11.08.2023 मुकर्र है उक्त फाईल को आज पेशी में लिया जाकर प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स0 1/2023 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री प्रेम कुमार जाट पुत्र श्री मनीराम जाट, फर्म– मै. शिव डेयरी, गुरुद्वारा रोड़, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **के–1304** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 77/एक्ट/2022/77 दिनांक 24.01.2022 द्वारा **सब–स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Cow Milk**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1304** of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री प्रेम कुमार जाट पुत्र श्री मनीराम जाट, फर्म– मै. शिव डेयरी, गुरुद्वारा रोड़, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री प्रेम कुमार जाट को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।